IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI (ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)

In the matter of: CS(COMM) 613/2023

ASSETS CARE AND RECONSTRUCTION ENTERPRISE LIMITED. ....Plaintiff

Versus

SUNIL GHORAWAT & ORS. ....Defendants

To: Proposed L Rs of Defendant No. 4- Late Mrs. Urmil Diwan

Mr. Puneet Diwan, S/o Late Mrs. Urmil Diwan Residing at B-12, Kailash Colony, New Delhi-110048

WHEREAS the above named plaintiff has instituted a suit **FOR DECLARATION, PERMANENT INJUNCTION AND TO AVOID A FRAUDULENT TRANSFER MADE WITH INTENT TO DEFEAT OR DELAY THE CREDITORS** against you, the above named LR of defendant no. 4.

AND WHEREAS it has been shown to the satisfaction of the Court that it is not possible to serve you in the ordinary way, therefore, this summons in the suit is given by publication directing you to make appearance before the **Joint Registrar (Judicial) of this Court on 13.08.2024 at 11:00 A.M.**

Take notice that in default of your appearance on the day above mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, in terms of order dated 19.07.2024.

SEAL **ASSISTANT REGISTRAR(O) for REGISTRAR GENERAL**

कैन फिन होम्स लिमिटेड

CanFinHomes Ltd

डीपी–11, प्रथम तल, लोकल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैनरा बैंक के ऊपर, पीतमपुरा, दिल्ली–110034, फोन: 011–41761717, मोबाइल: 7625079150 ईमेल: pitampura@canfinhomes.com, सीआईएन: L85110KA1987PLC008699

कब्जा की सूचना (नियम 8 (1)) (अचल संपत्ति के लिए)

अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के **कैन फिन होम्स लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होने **और उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के तहत शक्तियों के अंतर्गत उधारकर्ता डॉ. रितेश चौहान पुत्र श्री महेंद्र सिंह निवासी आर–81ए, न्यू आर–ब्लॉक, झिलमिल मेट्रो स्टेशन के सामने, दिलशाद गार्डन, दिल्ली 110095 को** मांग सूचना दिनांक **05-06-2024** को जारी और दिनांक 08.05.2024 का प्रकाशित किया था जिसमे सूचना में उल्लेखित राशि **रु. 11,38,716/- (रु. ग्यारह लाख अडतीस हजार सात सौ सोलह मात्र) और पूर्ण चुकौती की तिथि तक संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **08.08.2024** को लिया है।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन **कैन फिन होम्स लि.,** के प्रभार वास्ते **रु. 11,38,716/- (रु. ग्यारह लाख अडतीस हजार सात सौ सोलह मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. यूजी–1, ऊपरी भूतल, प्लॉट नं. डी–63, ब्लॉक–डी, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली – 110095 में स्थित, उत्तर में – पार्ट प्लॉट–डी–63/फ्लैट नं. यूजी–2, **पूरब में** – अन्य संपत्ति/फ्लैट नं. यूजी 3, **पश्चिम में** – सड़क/रोड, **दक्षिण में** – प्लॉट नं. डी–62/प्लॉट नं. डी 62

तिथि: 09.08.2024, हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी

स्थान : पीतमपुरा, दिल्ली **कैन फिन होम्स लि.**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय, नोएडा
जॉय टावर, दूसरा तल सी ब्लॉक, फेज 2
इंडस्ट्रियल एरिया, सैक्टर–62,
नोएडा–201301

किराए पर परिसर की आवश्यकता

बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी शाखा (शाखाओं) के लिए वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु अनिवार्य रूप से स्थानीय/ सरकारी प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त परिसर के स्वामियों/ पीओए धारकों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

परिसर का अनुमानित कार्पेट क्षेत्र	स्थान
1100 sq ft - 1700 sq ft	**नोएडा सेक्टर 63**

प्रस्तावित परिसर अलग प्रवेश के साथ एटीएम रूम सहित शाखा खोलने के लिए लीज किराया आधार पर प्रमुखता से तल मंजिल (पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र के साथ) पर होना चाहिए। परिसर में बैंक की आवश्यकताओं और विशिष्टताओं के अनुसार पर्याप्त पावर लोड तथा अन्य संरचनात्मक आवश्यकताओं के प्रावधान होने चाहिए। परिसर कब्जे के लिए तैयार रूप में होना चाहिए या बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार उसे 10–15 दिनों के भीतर तैयार हो जाना चाहिए। इच्छुक व्यक्ति/ पार्टी अपने प्रस्ताव को दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफों के ऊपर "तकनीकी बिड" / "वाणिज्यिक बिड" का उल्लेख करते हुए क्रमशः **"तकनीकी बिड" और "वाणिज्यिक बिड"** के लिए बैंक के निर्धारित प्रारूप में **दिनांक 18.08.2024 को सायं. 05.00 बजे तक अंचल प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जॉय टावर, दूसरा तल सी ब्लॉक फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया सैक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश 201301** को प्रस्तुत करें। इन प्रारूपों को कार्यालय समय के दौरान उपर्युक्त कार्यालय से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा सकता है या बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in के "निविदा" खंड के अंतर्गत इस निविदा विज्ञापन के साथ डाउनलोड किया जा सकता है। बैंक बिना कारण बताए किसी भी प्रस्ताव को रद्द/ अस्वीकार करने करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज नहीं दिया जाएगा। अपूर्ण और विलंब से प्रेषित प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें gad_noi@mahabank.co.in, 0120-2402662

दिनांक: 10.08.2024 अंचल प्रबन्धक

पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

रजि. कार्यालय: 507, दलामल हाउस, जमनालाल बजाज रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021
कारपोरेट कार्यालय: 55-56, 5वीं मंजिल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021, फोन: 022-61884700
कार्यालय: यूनिट नंबर 106, बेस्ट बिजनेस पार्क, प्लॉट नंबर पी-2, नेताजी सुभाष प्लेस, फन सिनेमा के सामने, पीतमपुरा नई दिल्ली-110034

कब्जा सूचना [नियम 8 (1)] (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, जना स्माल फिनान्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 28.03.2024 को डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ता– अर्थात **श्रीमती संगीता शर्मा** (आवेदक) से, जो मृतक हैं, उनके कानूनी उत्तराधिकारी **श्री गगन शर्मा, 2) श्री गगन शर्मा** (गारंटर) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, नोटिस में उल्लिखित राशि **रु.14,25,601/– (चौदह लाख पच्चीस हजार छह सौ एक मात्र)** को 26.03.2024 तक बकाया ब्याज सहित चुकाने का आह्वान किया है। संविदा दर और उस पर होने वाले खर्च, प्रभार और व्यय 27.03.2024 से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा।

उक्त उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं की बकाया राशि अंतर्निहित प्रतिभूति ब्याज के साथ जना बैंक द्वारा **पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड** के पक्ष में सरफेसी अधिनियम के प्रावधान के तहत दिनांक 28.03.2024 के असाइनमेंट समझौते के तहत पेगासस 2023 ट्रस्ट 10 (पेगासस) के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए असाइन किया गया था।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा दिनांक 07.08.2024 को ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन 26.03.2024 तक बकाया **14,25,601/– रुपये (चौदह लाख पच्चीस हजार छह सौ एक रुपये मात्र)** की राशि के लिए पेगासस के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही उस पर होने वाली लागत, शुल्क और व्यय सहित 27.03.2024 से लागू संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण

अचल संपत्ति का वह हिस्सा जिसमें फ्लैट नंबर एफएफ–4, पहली मंजिल, (बिना छत एलआईजी), क्षेत्रफल 32.88 वर्ग मीटर, प्लॉट नंबर बी 1/22, डीएलएफ अंकुर विहार, गांव लोनी, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद पर बना है। जिसका स्वामित्व **श्रीमती संगीता शर्मा, पत्नी श्री सुमेश नारायण के पास है। सीमा: पूर्व:** प्रवेश, **पश्चिम:** अन्य की संपत्ति, **उत्तर:** प्लॉट नंबर बी 1/22ए, **दक्षिण:** अन्य की संपत्ति।

स्थान: गाजियाबाद हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी

दिनांक: 10.08.2024 पेगासस एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पेगासस 2023 ट्रस्ट 10 के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड | संपत्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई,महाराष्ट्र-400051
शाखा कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं.-7, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

"फुलर्टन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे "एफआईएचएफसी" कहा जाएगा) द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (इसके बाद इसे "बैंक/केएमबीएल/सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है) ने **16.06.2022** को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद इसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाएगा) का भौतिक कब्जा ले लिया है। इसके द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ने **ऋण खाता संख्या 609107210455075** के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार श्री आकिल कुरेशी और श्रीमती फिरदोस द्वारा लिया गया ऋण **08–08–2024** तक बकाया **रु.23,65,912/–(केवल तेईस लाख पैंसठ हजार नौ सौ बारह रुपये)**की वसूली तक भविष्य में लागू ब्याज की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई–नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को **"जैसा है जहां है" "जैसा है, जैसा है", और "जो कुछ है"** के आधार पर बेचने का फैसला किया है।

विशेष	विवरण
नीलामी की तिथि	27.08.2024
नीलामी का समय	5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच
आरक्षित मूल्य	रु.9,50,000/–(नौ लाख पचास हजार रुपए मात्र)
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	रु.95,000/–(पचानवे हजार रुपए मात्र)
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 26.08.2024 सायं 5:00 बजे तक (आईएसटी)	
सुरक्षित संपत्ति का विवरण: आवासीय प्लॉट नंबर ए–4, खसरा नंबर 211 पर निर्मित जी+3 मंजिला इमारत में, सादुल्लाबाद गांव में "रेल विहार" नामक आवासीय कॉलोनी, परगना और तहसील–लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित फ्लैट नंबर जीएफ–01 (एमआईजी), भूतल, बिना छत के अधिकार के जिसमें ड्राइंग/डाइनिंग रूम, 2 बेडरूम, 2 शौचालय और 1 रसोईघर है, जिसका कवर्ड एरिया 475 वर्ग फीट वाली संपत्ति का वह टुकड़ा और अंश।	
ज्ञात भार	शून्य

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री करके प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, **बोलीदाता श्री अक्षित सोलंकी (+91 7302111608) से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता बैंक के आईवीआर नंबर (+91–9152219751) पर भी संपर्क कर सकते हैं।**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.kotak.com तथा/अथवा https://bankauctions.in/ पर उपलब्ध लिंक https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देखें।

स्थान: गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी,

दिनांक: 10.08.2024 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड,

यूनिफिनज कैपिटल इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में श्री वर्स्टेक्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सीआईएन: L17111DL1982PLC013790
चावला हाउस, तीसरी मंजिल, 19, नेहरू प्लेस नई दिल्ली –110019
टेली. नंबर: + 91149953454, + 91-7373737316

असाधारण आम बैठक और ई–वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यूनिफिन्ज कैपिटल इंडिया लिमिटेड (पूर्व में श्री वर्स्टेक्स लिमिटेड के नाम से विख्यात) (जिसे आगे "यूसीआईएल" या "कंपनी" के नाम से संदर्भित किया जाएगा) के सदस्यों की असाधारण आम बैठक ("ईजीएम") बुधवार, 04 सितंबर, 2024 को अपराह्न 3.00 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों ("वीसी" / "ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से विशेष व्यवसाय का संचालन किया जाएगा, जैसा कि उक्त ईजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित किया गया है, जिसे सदस्यों को 09 अगस्त, 2024 को भेजा गया है। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.unifinz.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

रिमोट ई–वोटिंग:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (संशोधित) के विनियम 44 और अन्य सभी लागू नियमों, कानूनों और अधिनियमों (यदि कोई हो) के अनुसार, कंपनी ईजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ एक समझौता किया है। रिमोट ई–वोटिंग अवधि रविवार, 01 सितंबर, 2024 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और मंगलवार, 03 सितंबर, 2024 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। जिन सदस्यों के नाम रिकॉर्ड तिथि (कट–ऑफ तिथि) यानी बुधवार, 28 अगस्त, 2024 को सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी बुधवार, 28 अगस्त, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा।

केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, ईजीएम में ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट किया है, वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।

किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं या evotingensdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

कंपनी अपनी असाधारण आम बैठक के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर मतदान परिणामों के बारे में विवरण की घोषणा करेगी और स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी और तदनुसार मतदान परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.unifinz.in, एनएसडीएल पर www.evoting.nsdl.com और बीएसई पर www.bseindia. com पर उपलब्ध होंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
यूनिफिनज कैपिटल इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
रितु तोमर
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 09.08.2024

क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, 5वीं मंजिल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली– 108 0008

ताबा नोटिस (परिशिष्ट IV) नियम 8(1)

जबकि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के तहत एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक कंपनी **क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (क्लिक्स), जिसका पंजीकृत कार्यालय अग्रवाल कॉरपोरेट टॉवर, प्लॉट नंबर 23, 5वीं मंजिल, गोविंद लाल सिक्का मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली– 110008 है, के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह–उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए एक डिमांड नोटिस जारी किया है। उधारकर्ता/गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को इस संपत्ति से निपटने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार **"सीएलआईएक्स"** और उस पर ब्याज अन्य शुल्क के अधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम और पता: **1.** डूंगर सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह, प्लटो नं. 34–ए, दादा गुरुदेव नगर, दादाबाड़ी, सांगानेर जयपुर, राजस्थान – 302029। **यहां भी:–** मैसर्स नैतन फैशन, प्लॉट नं. 9, गोपाल विहार कुमावतों की ढाणी, सांगानेर जयपुर, राजस्थान –302029। **2.** रेनू कंवर पत्नी डूंगर सिंह, प्लॉट नं. 34–ए, दादा गुरुदेव नगर, दादाबाड़ी, सांगानेर जयपुर, राजस्थान–302029। **यह भी :** प्लॉट नं. 33, श्याम विहार, रेलवे स्टेशन के पास, सांगानेर, हाज्यावाला, जयपुर – 302029. **3.** भवानी सिंह पुत्र मान सिंह जगा प्लॉट नंबर। 12, श्याम विहार कॉलोनी हैया वाला रेलवे स्टेशन के सामने सांगानेर जयपुर, राजस्थान – 302029।

डिमांड नोटिस की तिथि : 20.05.2024, **कब्जे की तारीख:** 08.08.2024
डिमांड नोटिस की राशि: दिनांक 16–मई–2024 तक रु. 22,80,055.53/–

संपत्ति का ब्यौरा: संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल प्लॉट नंबर 33, स्कीम श्याम विहार, रेलवे स्टेशन के पास, गांव हाज्यावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर में स्थित है, जिसका माप 127.69 वर्ग गज है, **पूर्व में:–** अन्य का प्लॉट, **पश्चिम में:–** 30 फीट चौड़ी सड़क, **उत्तर में:–** अन्य का प्लॉट, **दक्षिण में:–** प्लॉट नंबर 32 है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम और पता: **1.** रवि पवार पुत्र रवि दास पवार, **2.** रेखा पवार पत्नी रवि पवार, दोनों – मकान संख्या 100, गली संख्या 21, अर्जुन नगर, माता मंदिर के पास, सैफदरगंज एनक्लेव, दक्षिण पश्चिम दिल्ली –110029। **यह भी पता:–** एच–3, खसरा संख्या 50/11 का हिस्सा, गांव हुमायूंपुर, दिल्ली राज्य कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित, जिसे अर्जुन नगर के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली –110029।

डिमांड नोटिस की तिथि: 17.05.2024, **कब्जे की तिथि :** 08.08.2024
डिमांड नोटिस की राशि : 16–मई–2024 तक रु. 40,94,382.38/–

संपत्ति का ब्यौरा: संपत्ति संख्या एच–3 से 60.67 वर्ग गज यानि 57.42 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बिना छत वाले भूतल के सभी टुकड़े और पार्सल, साथ में 68.67 वर्ग गज यानि 57.42 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले नीचे की भूमि का आनुपातिक अविभाजित अविभाज्य और निष्पक्ष स्वामित्व अधिकार, खसरा संख्या 50/11 का हिस्सा, गांव हुमायूंपुर, दिल्ली राज्य कॉलोनी जिसे अर्जुन नगर, नई दिल्ली–110029 के नाम से जाना जाता है।

स्थान: नई दिल्ली, जयपुर प्राधिकृत अधिकारी,

दिनांक: 10.08.2024 क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

RAM RATNA WIRES LIMITED

RR SHRAMIK

(CIN: L31300MH1992PLC067802)

Regd. Office: Ram Ratna House, Victoria Mill Compound (Utopia City), Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 013. Tel: +91 - 22 - 2494 9009/ 2492 4144
Website: www.rrshramik.com E mail: investorrelations.rrwl@rrglobal.com

NOTICE OF THE 32ND ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the **32nd Annual General Meeting ("AGM")** of the Members of **Ram Ratna Wires Limited ("the Company")** will be held on **Tuesday, 3rd September, 2024 at 05:00 p.m. through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)** to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM. The venue of the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company at Mumbai- 400 013, Maharashtra.

The AGM of the Company will be held through VC/OAVM in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules issued thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), read with circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") dated 25th September, 2023 read with circular dated 5th May, 2020 and circulars issued by SEBI dated 7th October, 2023 read with circular dated 12th May, 2020 and other relevant circulars issued by the MCA and SEBI (collectively referred to as "Circulars"). The instructions for joining the AGM through VC/OAVM are provided in the Notice of AGM.

The notice of the 32nd AGM and the Annual Report for FY 2023-24 has been sent electronically to all the members at their email address as registered with the Company/Depository Participant(s)/Datamatics Business Solutions Limited, Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), in compliance with the above Circulars. These documents are also available on the Company's website at https://www.rrshramik.com/investor/annual-reports/ and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

The Members who have not registered their email address or KYC details are requested to register/update the said details with Depository Participant(s) if shares are held in dematerialised form and if shares are held in physical form then register/update the said details in Form ISR-1 with the Company / RTA of the Company at investorrelations.rrwl@rrglobal.com or investorsqry@datamaticsbpm.com. The Shareholders can access the relevant forms on the website of the Company at https://www.rrshramik.com/investor/announcements/.

Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Act, read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide the members with the facility to cast their votes electronically ("remote e-voting") as well as e-voting at the AGM using e-voting system of NSDL in respect of all the businesses to be transacted at the AGM. The Members who have cast their vote through remote e-Voting can participate at the 32nd AGM but shall not be entitled to vote again. The procedure to cast vote using e-voting has been described in the Notice of the AGM.

The remote e-voting period will commence on **Friday, 30th August, 2024 at 9:00 a.m. and will end on Monday, 2nd September, 2024 at 5:00 p.m.** During this period the Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the cut-off date i.e. **Tuesday, 27th August, 2024**, may cast their vote electronically through electronic voting system provided by NSDL. Any person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice but holds shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 27th August, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@nsdl.com.

Record Date:

The Record date for the purpose of payment of final dividend of ₹ 2.50/- per share, for the financial year ended on 31st March, 2024, subject to approval by the Members of the Company at the ensuing AGM, is **Friday, 16th August, 2024**.

In case of any queries regarding attending of AGM or e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at www.evoting.nsdl.com or can contact through email to Ms. Prajakta Pawale, Officer NSDL at evoting@nsdl.com / (022) 4886 7000.

For Ram Ratna Wires Limited
Sd/-
Place : Mumbai Saurabh Gupta
Dated: 9th August, 2024 Company Secretary

विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN NO.: L25209RJ2009PLC030620

पंजीकृत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 (राज.) इंडिया
फोन : 0141-2377007 ई-मेल : investor@vinayakpolycon.com, वेबसाईट : www.vinayakpolycon.com

सदस्यों को ई-मेल और अन्य जानकारी नवीनीकरण के लिए सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सूचना में वर्णित प्रस्तावों के निष्पादन के लिए कंपनी की 15वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे भारतीय मानक समय (आईएसटी) आयोजित की जायेगी जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से, कॉरपोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 21/2021, एवं 09/2023 दिनाँकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2022, 13 जनवरी 2021, 14 दिसम्बर 2021, 28 दिसम्बर 2022 एवं 25 सितम्बर 2023 एवं (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्रों के रूप में संदर्भित) एवं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए (एमसीए परिपत्रों) क्रमशः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी। कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 (सेबी सूचीकरण विनियम) और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी की 15वीं एजीएम सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी या ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

पूर्वोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 15 वीं एजीएम की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी, जिनका ई-मेल